भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3576

सोमवार, 21 दिसम्बर, 2015/ 30 अग्रहायण 1937 (शक)

श्रम न्यायालयों में रिक्तियां

3576. श्री पंकज चौधरी:

श्री राजन विचारे:

श्री रायपति सम्बासिवा राव:

श्री निशिकान्त दुबे:

डॉ उदित राज:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में गठित श्रम न्यायालयों/अधिकरणों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) महाराष्ट्र सहित इन न्यायालयों में गत तीन वर्षों के दौरान लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है एवं समाधान में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में कार्य कर रहे श्रम न्यायालय और अधिकरण श्रम संबंधी विवादों को निपटाने के लिए पर्याप्त हैं एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो ऐसे और न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) इन न्यायालयों/अधिकरणों में न्यायाधीशों की रिक्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या ऐसे मामले जानकारी में आए हैं जहां नियोक्ताओं द्वारा अधिकरणों के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ग): औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में उठ रहे औद्योगिकों विवादों के समाधान के लिए विभिन्न राज्यों में 22 केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरण -सह- श्रम न्यायालयों (सीजीआईटी-कम-एलसीज) की स्थापना की है। इनमें से मुंबई और कोलकाता में स्थित दो सीजीआईटी-सह-एलसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के रुप में भी कार्य करते हैं। सीजीआईटी-सह-एलसीज की सूची अनुबंध-I में है।

राज्य क्षेत्र में आने वाले श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों के संबंध में ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों - सह- श्रम न्यायालयों और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरणों में 2013-14, 2014-15 और 2015-16 (नवम्बर, 2015 तक) के लिए लंबित मामलों का ब्यौरा क्रमश: अनुबंध-II,III और IV पर है।

मामले लंबित रहने के कारणों में अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:

(i) सुनवाई के समय प्रभावित पक्षकारों की अनुपस्थिति;
(ii) दस्तावेज दायर करने के लिए पक्षकारों द्वारा बार-बार स्थगन की मांग;
(iii) पक्षकारों द्वारा समुचित सरकार द्वारा जारी संदर्भ आदेशों के साथ-साथ न्यायाधिकरणों द्वारा प्राथमिक बिन्दुओं पर जारी आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालयों में जाना;

(घ): सीजीआईटी-सह-एलसीज में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:
i. पीठासीन अधिकारी, सीजीआईटी-सह-एलसी, भुवनेश्वर
ii. पीठासीन अधिकारी, सीजीआईटी-सह-एलसी, बंगलुरू
iii. पीठासीन अधिकारी, सीजीआईटी-सह-एलसी संख्या 2 , धनबाद

सीजीआईटी-सह-एलसी, भुवनेश्वर एवं बंगलुरू के पीठासीन अधिकारी के पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं। पीठासीन अधिकारी, सीजीआईटी-सह-एलसी संख्या 2 , धनबाद के पद के लिए समुचित अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं तथा प्रक्रियाधीन हैं।

(ड.) : सीजीआईटी-सह-एलसी द्वारा जारी आदेशों को सरकारी राजपत्र में अ धिसूचित किया जाता है और ये नियोक्ताओं पर बाध्यकारी होते हैं। पंचाट लागू न किए जाने की स्थिति में कामगार पंचाट को लागू कराने हेतु समु चित सरकार के श्रम विभाग के पास जा सकते हैं। लागू करने वाला प्रा धिकारी सम्यक कानूनी प्रक्रिया करने के पश्चात सीजीआईटी-सह-एलसी के पंचाट/आदेश को लागू नहीं करने के लिए औद्यो गिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 के अंतर्गत नियोक्ता पर अ भियोजन कर सकता है।

इसके अ तिरिक्त, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11 में संशोधन कर दिया गया है जिसके आधार पर श्रम न्यायालय या अ धिकरण या राष्ट्रीय अ धिकरण के द्वारा अथवा समक्ष जारी किया गया प्रत्येक पंचाट, जारी आदेश या समझौते को सिविल प्रक्रिया कोड, 1908 के आदेश 21 के तहत आदेशों और सिविल न्यायालय की डिक्री को लागू करने के अनुसार लागू किया जाएगा। इसके साथ-साथ श्रम न्यायालय या अ धिकरण या राष्ट्रीय अ धिकरण किसी सिविल न्यायालय जिसके पास क्षेत्राधिकार है, को कोई भी पंचाट, आदेश या समझौता प्रे षित करेंगे और इस प्रकार के सिविल न्यायालय पंचाट, आदेश या समझौते को इस प्रकार लागू करेंगे मानों इसी के द्वारा डिक्री पास की गई है।

****

****

अनुबंध -I

दिनांक 21.12.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3576 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

.....

देश के केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम -न्यायालयों और राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणों की सूची

क्रम संख्या	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम -न्यायालयों के नाम
1.	मुम्बई I
2.	मुम्बई II
3.	नागपुर
4.	धनबाद I
5.	धनबाद II
6.	कोलकाता
7.	आसनसोल
8.	चंडीगढ़ I
9.	चंडीगढ़ II
10.	दिल्ली I
11.	दिल्ली II
12.	कानपुर
13.	लखनऊ
14.	जबलपुर
15.	चेन्नई
16.	बंगलुरू
17.	हैदराबाद
18.	भुवनेश्वर
19.	जयपुर
20.	गुवाहाटी
21.	एनाकुल्लम
22.	अहमदाबाद

राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण

मुम्बई-I
कोलकाता

अनुबंध-II

दिनांक 21.12.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3576 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2013-14 के दौरान मामलों और आवेदनों से संबंधित वित्तीय वर्ष-वार विवरण

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम-न्यायालय

क्रम संख्या	सीजीआईटी	मामले				आवेदन			
		पिछले वर्ष से अग्रानीत	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित	पिछले वर्ष से अग्रानीत	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित
1	मुम्बई I	208	50	16	242	94	51	7	138
2	मुम्बई II	417	96	43	470	381	12	17	376
3	धनबाद I	1457	107	167	1,397	297	12	110	199
4	धनबाद II	751	170	140	781	39	1	4	36
5	आसनसोल	518	29	76	471	51	5	14	42
6	कोलकाता	265	74	14	325	48	5	8	45
7	चंडीगढ़ I	205	312	75	442	30	27	9	48
8	नई दिल्ली I	387	144	155	376	42	24	23	43
9	कानपुर	612	172	44	740	261	21	59	223
10	जबलपुर	1897	96	398	1,595	224	3	56	171
11	चेन्नई	320	101	123	298	14	5	6	13
12	बंगलुरू	538	56	65	529	102	35	22	115
13	हैदराबाद	1053	156	309	900	613	6	30	589
14	नागपुर	356	95	200	251	7	8	2	13
15	भुवनेश्वर	383	73	72	384	357	33	10	380
16	लखनऊ	497	72	55	514	46	16	11	51
17	जयपुर	360	67	29	398	114	1	4	111
18	नई दिल्ली II	506	140	95	551	59	64	14	109
19	गुवाहाटी	76	44	29	91	8	31	7	32
20	एर्नाकुल्लम	100	56	28	128	11	7	12	6
21	अहमदाबाद	2219	198	81	2,336	1,624	18	76	1,566
22	चंडीगढ़ II	515	95	107	503	54	20	10	64
कुल		**13,640**	**2,403**	**2,321**	**13,722**	**4,476**	**405**	**511**	**4,370**

राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण

मुम्बई I	6	2	0	8	153	0	1	152
कोलकाता	10	1	1	10	79	0	0	79
महायोग	**13,656**	**2,406**	**2,322**	**13,740**	**4,708**	**405**	**512**	**4,601**

अनुबंध-III

दिनांक 21.12.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारां कित प्रश्न संख्या 3576 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2014-15 के दौरान मामलों और आवेदनों से संबंधित वित्तीय वर्ष-वार विवरण

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम -न्यायालय

क्रम संख्या	सीजीआईटी	मामले				आवेदन			
		पिछले वर्ष से अग्रानीत	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित	पिछले वर्ष से अग्रानीत	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित
1	**मुम्बई I**	242	23	22	243	138	15	17	136
2	**मुम्बई II**	470	106	57	519	376	29	10	395
3	**धनबाद I**	1397	79	183	1,293	199	10	127	82
4	**धनबाद II**	781	71	145	707	36	0	14	22
5	**आसनसोल**	471	27	79	419	42	9	6	45
6	**कोलकाता**	325	74	80	319	45	11	1	55
7	**चंडीगढ़ I**	442	143	122	463	48	8	32	24
8	**नई दिल्ली I**	376	360	47	689	43	38	0	81
9	**कानपुर**	740	103	40	803	223	26	94	155
10	**जबलपुर**	1595	122	374	1,343	171	5	35	141
11	**चेन्नई**	298	144	173	269	13	10	8	15
12	**बंगलुरू**	529	34	145	418	115	47	15	147
13	**हैदराबाद**	900	222	121	1,001	589	12	527	74
14	**नागपुर**	251	78	99	230	13	8	6	15
15	**भुवनेश्वर**	384	69	31	422	380	25	10	395
16	**लखनऊ**	514	78	68	524	51	24	8	67
17	**जयपुर**	398	81	32	447	111	1	4	108
18	**नई दिल्ली II**	551	145	89	607	109	86	108	87
19	**गुवाहाटी**	91	7	60	38	32	20	21	31
20	**एर्नाकुल्लम**	128	54	46	136	6	20	7	19
21	**अहमदाबाद**	2336	88	68	2,356	1,566	38	81	1,523
22	**चंडीगढ़ II**	503	124	179	448	64	27	1	90
कुल		**13,722**	**2,232**	**2,260**	**13,694**	**4,370**	**469**	**1,132**	**3,707**

राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण

	मुम्बई I	8	1	0	9	152	0	0	152
	कोलकाता	10	1	2	9	79	0	0	79
	महायोग	**13,740**	**2,234**	**2,262**	**13,712**	**4,601**	**469**	**1,132**	**3,938**

अनुबंध-IV

दिनांक 21.12.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारां कित प्रश्न संख्या 3576 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

2015-16 (नवम्बर, 2015 तक) के दौरान मामलों और आवेदनों से संबंधित वित्तीय वर्ष-वार विवरण

केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम कोर्ट

क्र. सं.	सीजीआईटी	मामले				आवेदन			
		पिछले वर्ष से अग्रानीत	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित	पिछले वर्ष से अग्रानीत	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित
1	मुम्बई I	243	14	15	242	136	9	4	141
2	मुम्बई II	519	32	5	546	395	12	2	405
3	धनबाद I	1293	63	133	1,223	82	14	24	72
4	धनबाद II	707	67	50	724	22	1	1	22
5	आसनसोल	419	11	57	373	45	53	13	85
6	कोलकाता	319	85	44	360	55	7	6	56
7	चंडीगढ़ I	463	23	44	442	24	19	9	34
8	नई दिल्ली I	689	135	54	770	81	17	9	89
9	कानपुर	803	96	56	843	155	22	15	162
10	जबलपुर	1348	91	250	1,189	147	1	95	53
11	चेन्नई	269	94	76	287	15	15	3	27
12	बंगलुरू	418	22	6	434	147	26	0	173
13	हैदराबाद	1001	61	3	1,059	74	1	0	75
14	नागपुर	230	32	0	262	15	5	0	20
15	भुवनेश्वर	422	33	0	455	395	6	0	401
16	लखनऊ	524	57	59	522	67	7	14	60
17	जयपुर	447	61	43	465	108	2	3	107
18	नई दिल्ली II	607	122	34	695	88	0	4	84
19	गुवाहाटी	38	5	10	33	31	2	1	32
20	एर्नाकुल्लम	136	43	7	172	19	8	2	25
21	अहमदाबाद	2356	47	3	2,400	1,523	3	0	1,526
22	चंडीगढ़ II	448	52	77	423	90	25	3	112
कुल		**13,699**	**1,246**	**1,026**	**13,919**	**3,714**	**255**	**208**	**3,761**
राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण									
मुम्बई.I		9	0	1	8	152	1	1	152
कोलकाता		9	0	0	9	79	0	0	79
महायोग		**13,717**	**1,246**	**1,027**	**13,936**	**3,945**	**256**	**209**	**3,992**